(30)

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

सुरेश चन्द्र सैनी बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नदबई

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 52 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.11.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट सुरेश चन्द्र सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी निवासी के–53 नारायण बिहार गोपालपुरा वाईपास अजमेर रोड जयपुर की यह अपील आर टी आई के तहत **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नदबई** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नंदबई** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। Sd/- जिला कलक्टर भरतपुर	848 29/11/24 मूल अपील वापिस